(क) क्या महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में गत तीन वर्षों में कमी आई है या इनमें वृद्धि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में घरेलू हिंसा संबंधी मामले सबसे अधिक तथा सबसे कम किन राज्यों में हुए हैं; और

(ग) घरेलू हिंसा के पीछे पाये गये प्रमुख कारणों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार क्रमश: वर्ष 2008, 2009 और 2010 के लिए (घरेलू हिंसा अधिनियम-2005) से महिलाओं की सुरक्षा के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों की कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई हैं।**

**ऐसे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विधिक और राजनैतिक कारण हैं जिनसे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती रहती है। इनमें से कुछ लिंग-विशिष्ट समाजीकरण, पुरुष-महिला की भूमिकाओं की सांस्कृतिक परिभाषाएं, पुरूष की सर्वोच्चता पर विश्‍वास, विवाह-प्रथा, विरोध के समाधान के लिए हिंसा की स्वीकृति, पुरुष पर आर्थिक निर्भरता, उत्तराधिकार संपत्ति का अधिकार के संबंध में भेदभाव-भरा कानून, महिलाओं के बीच कानूनी साक्षरता का कम स्तर, विधि-प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के प्रति असंवेदनशील बर्ताव और शासन, राजनीति, मीडिया, कानून, चिकित्सा संबंधी पेशे में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व आदि हैं।**

अनुलग्नक पृष्ठ 1/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **वर्ष 2008 के दौरान (घरेलू हिंसा अधिनियम-2005) से महिलाओं की सुरक्षा के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या** | | | | | | | |
| **क्र सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **दर्ज मामले** | **आरोप-पत्रित मामले** | **दोषसिद्ध मामले** | **गिरफ्तार व्यक्ति** | **आरोप-पत्रित व्यक्ति** | **दोषसिद्ध व्यक्ति** |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 2267 | 485 | 76 | 1 | 17 | 1 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | बिहार\* |  |  |  |  |  |  |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 361 | 426 | 1 | 987 | 1020 | 0 |
| 6 | गोवा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 324 | 324 | 1 | 1058 | 1058 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 9 | 8 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | केद्रीय अधिनियम और उसके उपबंध लागू नहीं हैं। | | | | | |
| 11 | झारखंड | 955 | 856 | 178 | 1857 | 1943 | 206 |
| 12 | कर्नाटक\* |  |  |  |  |  |  |
| 13 | केरल | 30 | 27 | 0 | 25 | 33 | 3 |
| 14 | मध्य प्रदेश\* |  |  |  |  |  |  |
| 15 | महाराष्ट्र | 376 | 278 | 103 | 217 | 325 | 197 |
| 16 | मणिपुर | 35 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | मेघालय | 5 | 5 | 2 | 29 | 6 | 2 |
| 18 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | उड़ीसा\* |  |  |  |  |  |  |
| 21 | पंजाब | 52 | 36 | 3 | 99 | 97 | 2 |
| 22 | राजस्थान | 60 | 50 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 23 | सिक्किम | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 765 | 437 | 129 | 30 | 320 | 146 |
| 25 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 16 | 12 | 1 | 13 | 19 | 1 |
| 27 | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 328 | 80 | 0 | 118 | 280 | 0 |
|  | **कुल राज्य** | **5590** | **3033** | **494** | **4538** | **5209** | **558** |
| 29 | अं. और नि.द्वीप समूह | 35 | 22 | 0 | 36 | 30 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दिल्ली | 18 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **कुल संघ शासित क्षेत्र** | **53** | **37** | **0** | **51** | **45** | **0** |
|  | **कुल अखिल भारत** | **5643** | **3070** | **494** | **4589** | **5254** | **558** |
| टिप्पणी : “\*” आंकड़ा उपलब्ध नहीं है दर्शाता है। | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **आंकड़ा अनंतिम है।** |  |  |  |  |  |  |

अनलुग्नक पृष्ठ 2/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष 2009 के दौरान (घरेलू हिंसा अधिनियम-2005) से महिलाओं की सुरक्षा के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या** | | | | | | | |
| **क्र सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **दर्ज मामले** | **आरोप-पत्रित मामले** | **दोषसिद्ध मामले** | **गिरफ्तार व्यक्ति** | **आरोप-पत्रित व्यक्ति** | **दोषसिद्ध व्यक्ति** |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 2710 | 608 | 97 | 0 | 103 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 13 | 8 | 3 | 12 | 8 | 3 |
| 3 | असम | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | बिहार\* |  |  |  |  |  |  |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 22 | 23 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 67 | 67 | 0 | 234 | 234 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 32 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | केद्रीय अधिनियम और उसके उपबंध लागू नहीं हैं। | | | | | |
| 11 | झारखंड\* |  |  |  |  |  |  |
| 12 | कर्नाटक | 18 | 6 | 8 | 1 | 4 |  |
| 13 | केरल | 53 | 46 | 0 | 61 | 72 | 0 |
| 14 | मध्य प्रदेश\* |  |  |  |  |  |  |
| 15 | महाराष्ट्र | 1395 |  | 121 |  |  |  |
| 16 | मणिपुर | 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 17 | मेघालय | 23 | 28 | 0 | 76 | 45 | 0 |
| 18 | मिजोरम | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 19 | नागालैंड | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 20 | उड़ीसा\* |  |  |  |  |  |  |
| 21 | पंजाब | 38 | 34 | 1 | 76 | 77 | 0 |
| 22 | राजस्थान | 45 | 29 | 1 | 37 | 37 | 1 |
| 23 | सिक्किम | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 2376 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश\* |  |  |  |  |  |  |
| 27 | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **कुल राज्य** | **7761** | **1608** | **235** | **583** | **638** | **8** |
| 29 | अं. और नि.द्वीप समूह | 36 | 29 | 1 | 53 | 53 | 1 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दिल्ली | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 34 | लक्षद्वीप\* |  |  |  |  |  |  |
| 35 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **कुल संघ शासित क्षेत्र** | **42** | **33** | **1** | **58** | **57** | **1** |
|  | **कुल अखिल भारत** | **7803** | **1641** | **236** | **641** | **695** | **9** |
| टिप्पणी : “\*” आंकड़ा उपलब्ध नहीं हैं दर्शाता है। | | |  | |  |  |  |
|  | आंकडा अनंतिम है। | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

अनुलग्नक पृष्ठ 2/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष 2010 के दौरान (घरेलू हिंसा अधिनियम-2005) से महिलाओं की सुरक्षा के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या** | | | | | | | |
| **क्र सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **दर्ज मामले** | **आरोप-पत्रित मामले** | **दोषसिद्ध मामले** | **गिरफ्तार व्यक्ति** | **आरोप-पत्रित व्यक्ति** | **दोषसिद्ध व्यक्ति** |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 2683 | 141 | 1 | 1 | 141 | 1 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 8 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| 3 | असम | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | बिहार |  |  |  |  |  |  |
| 5 | छत्तीसगढ़ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | गोवा |  |  |  |  |  |  |
| 7 | गुजरात | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | हरियाणा | 39 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश |  |  |  |  |  |  |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | केद्रीय अधिनियम और उसके उपबंध लागू नहीं हैं। | | | | | |
| 11 | झारखंड |  |  |  |  |  |  |
| 12 | कर्नाटक |  |  |  |  |  |  |
| 13 | केरल | 44 | 35 | 1 | 41 | 48 | 1 |
| 14 | मध्य प्रदेश |  |  |  |  |  |  |
| 15 | महाराष्ट्र | 3505 | 2127 | 408 | -- | -- | -- |
| 16 | मणिपुर |  |  |  |  |  |  |
| 17 | मेघालय |  |  |  |  |  |  |
| 18 | मिजोरम | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | नागालैंड | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 20 | उड़ीसा |  |  |  |  |  |  |
| 21 | पंजाब | 19 | 11 | 0 | 38 | 30 | 0 |
| 22 | राजस्थान | 45 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 23 | सिक्किम |  |  |  |  |  |  |
| 24 | तमिलनाडु |  |  |  |  |  |  |
| 25 | त्रिपुरा | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश |  |  |  |  |  |  |
| 27 | उत्तराखंड |  |  |  |  |  |  |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1164 | 744 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | **कुल राज्य** |  |  |  |  |  |  |
| 29 | अं. और नि.द्वीप समूह | 28 | 23 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दमण और दीव |  |  |  |  |  |  |
| 33 | दिल्ली |  |  |  |  |  |  |
| 34 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **कुल संघ शासित क्षेत्र** |  |  |  |  |  |  |
|  | **कुल अखिल भारत** |  |  |  |  |  |  |
| टिप्पणी: आंकड़े उपलब्ध नहीं है दर्शाता है।  “\*\*” भारतीय दंड संहिता के मामले भी शामिल हैं। | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **आंकड़े अनंतिम हैं।** |  |  |  |  |  |  |